भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I खंड-I में प्रकाशनार्थ

फा.सं. 6/38/2025
भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5 संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक:29 सितंबर, 2025

जांच की शुरूआत की अधिसूचना

मामला संख्याः - एडी(ओआई)- 33/2025

विषय : दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और वियतनाम के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सोलर एनकैप्सुलेंट्स" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत - के संबंध में।

1. फा. सं. 6/38/2025: मेसर्स रिन्यूसिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिसे आगे आवेदक भी कहा कहा गया है) ने समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और वियतनाम (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) से "सोलर एनकैप्सुलेंट्स" (जिन्हें आगे संबद्ध सामान या विचाराधीन उत्पाद भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन-पत्र दायर किया है।

क. <u>विचाराधीन उत्पाद</u>

2. वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद "सोलर एनकैप्सुलेंट्स" है। आवेदक के अनुसार, सोलर एनकैप्सुलेंट्स तीन प्रकार के होते हैं: अर्थात, पॉली ओलेफिन एनकैप्सुलेंट्स (पीओई), ईपीई एनकैप्सुलेंट्स, और एथिल वेनिल एसीटेट (ईवीए)। ये पॉलीमर-आधारित घटक हैं जिनका उपयोग सोलर पीवी मॉड्यूल के निर्माण में किया जाता है।

इनका उपयोग सोलर पीवी सेलों के एनकैप्सुलेशन के लिए किया जाता है और ये आसंजन और कुशनिंग कार्य करते हैं। ये सबसे आवश्यक घटकों में से एक हैं जो काँच, सेल और बैकशीट को एकीकृत रखते हैं और मॉड्यूल को उसके सेवा काल के दौरान यांत्रिक रूप से सहारा देते हैं।

3. इनका निर्माण प्लास्टिक एक्सट्रूज़न तकनीक का उपयोग करके किया जाता है। पॉलीमर आधारित रेज़िन को कई अन्य योजकों के साथ मिलाया जाता है और मिश्रित सामग्री को शीट के रूप में परिवर्तित करने के लिए ऊष्मा और दाब प्रक्रिया से गुजारा जाता है। इन शीटों के निर्माण में प्रयुक्त योजकों में एक क्रॉस लिंकर, एक आसंजन प्रमोटर, यूवी स्टेबलाइज़र और विशिष्ट कार्य प्रदान करने के लिए कुछ अन्य आवश्यक सामग्रियाँ शामिल हैं। संबद्ध सामान एक्सट्रूज़न तकनीक से बनी प्लास्टिक शीटिंग और फ़िल्मों की श्रेणी में आती हैं। तार से जुड़ा सेल दो शीटों के बीच रखा जाता है। शीटों के ऊपर कांच रखा जाता है जबकि दूसरी ओर, नीचे एक बैकशीट रखी जाती है।

4. कथित पाटित सामानों सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 39 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं। याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि संबद्ध सामानों का आयात कंपनी दर कंपनी और देश दर देश अलग-अलग कोडों के अंतर्गत किया जा रहा है, और आयात शीर्षों 39019000, 39201019, 39201099, 39202090, 39206190, 39206290, 39209919, 39209932, 39209939, 39209992, 39209999 के अंतर्गत हो रहा है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और किसी भी तरह से यह उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

5. आवेदक ने उत्पाद के विभिन्न प्रकारों/रूपों के बीच निष्पक्ष तुलना के उद्देश्य से उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) को अपनाने का प्रस्ताव दिया है। घरेलू उद्योग ने एनकैप्सुलेंट्स के प्रकार के आधार पर निम्नलिखित तीन पीसीएन का प्रस्ताव किया है।

एनकैप्सुलेंट्स के प्रकार	**पीसीएन में तदनरूपी संख्या**
पॉलीओलेफ़िन एनकैप्सुलेंट	पीओई
ईपीई एनकैप्सुलेंट	ईपीई
एथिलीन विनाइल एसीटेट	ईवीए

6. वर्तमान जांच के पक्षकार विचाराधीन उत्पाद पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं और उसके बाद पीसीएन (औचित्य सहित) यदि कोई हो, जांच की शुरुआत की सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं। औचित्य के बिना किए गए अनुरोधों पर प्राधिकारी द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

ख. <u>समान वस्तु</u>

7. समान वस्तु के संबंध में नियम 2(घ) में निम्नलिखित प्रावधान हैं:-

"समान वस्तु" से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटन के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरुप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समनुरुप नहीं है परंतु जांचाधीन सामानों के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं;

8. आवेदक ने अनुरोध किया है कि भारत में पाटित किए जा रहे संबद्ध सामान घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामानों के समान हैं। आवेदक ने आगे दावा किया है कि पाटित आयातों और घरेलू स्तर पर उत्पादित संबद्ध सामानों की तकनीकी विशिष्टताओं, प्रकार्यों या अंतिम प्रयोगों में कोई अंतर नहीं है। इसके अतिरिक्त, आवेदक ने यह भी दावा किया है कि दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए उन्हें पाटनरोधी नियमावली के तहत 'समान वस्तु' माना जाना चाहिए। अत:, वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ, भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों को संबद्ध देशों से आयात किए जा रहे संबद्ध सामानों के समान वस्तु माना जा रहा है।

ग. <u>घरेलू उद्योग और आधार</u>

9. नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:

"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"

10. यह आवेदन-पत्र मेसर्स रिन्यूसिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक के अलावा, भारत में अन्य उत्पादक भी हैं, अर्थात विशाखा रिन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड, नवितास, ईसीएपी ग्रीन टेक प्राइवेट लिमिटेड, अलीशान ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, पिक्सल रिडिफाइनिंग सोलर, एनरलाइट सोलर फिल्म्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और फिमटेक सोलर प्राइवेट लिमिटेड। भारत के कुल घरेलू उत्पादन में से, आवेदक का उत्पादन हिस्सा संबद्ध सामानों के बड़े हिस्से के बराबर है। यह नोट किया जाता है कि सात उत्पादकों में से दो उत्पादकों अर्थात विशाखा रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स नवितास अल्फा रिन्यूएबल्स ने आवेदन-पत्र का समर्थन किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक का देश में कुल घरेलू उत्पादन में प्रमुख अनुपात है। आवेदक ने यह भी प्रमाणित किया है कि उन्होंने न तो संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के किसी निर्यातक या आयातक से संबद्ध हैं। इसलिए, प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय से आवेदक को घरेलू उद्योग माना है और आवेदन-पत्र उपर्युक्त नियमावली के नियम 5(ख) के अनुसार आधार के मानदंडों को पूरा करता है।

घ. संबद्ध देश

11. यह आवेदन-पत्र दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और वियतनाम के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों की कथित पाटन के संबंध में दायर किया गया है। अतः, वर्तमान जाँच के लिए संबद्ध देश दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और वियतनाम हैं।

ड. जांच की अवधि

12. वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ जाँच की अवधि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 (12 महीने) है। क्षति जाँच की अवधि में वित्त वर्ष 2021-22, वित्त वर्ष 2022-23, वित्त वर्ष 2023-24 और जाँच की अवधि शामिल होगी।

च. पाटन मार्जिन परिकलन

दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और वियतनाम के लिए सामान्य मूल्य

13. आवेदक ने दावा किया है कि चूँकि उत्पाद का दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और वियतनाम में कोई विशिष्ट वर्गीकरण नहीं है, इसलिए इन देशों में उसके पास कीमत के किसी भी प्रमाण तक पहुँच नहीं है। अतः, आवेदक ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर

अनुमानित उत्पादन लागत और उचित लाभ मार्जिन के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। जाँच शुरू करने के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने सभी संबद्ध देशों के लिए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर उत्पादन लागत और उचित लाभ मार्जिन को ध्यान में रखते हुए सामान्य मूल्य पर विचार किया है।

निर्यात कीमत

14. कारखानागत निर्यात कीमत निकालने के लिए संबद्ध सामानों की निर्यात कीमत, डीजी सिस्टम के आंकड़ों में दी गई सूचना के अनुसार, संबद्ध सामानों की सीआईएफ कीमत पर विचार करके निर्धारित की गई है। समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बंदरगाह व्यय, हैंडलिंग शुल्क और बैंक प्रभारों के निमित्त कीमत समायोजन किए गए है।

पाटन मार्जिन

15. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखानागत स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया यह सिद्ध होता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से ऊपर है और विचाराधीन उत्पाद के संदर्भ में काफी है। इस प्रकार, प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं कि विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा भारत के घरेलू बाजार में पाटित किया जा रहा है।

छ. <u>क्षति का आरोप और कारणात्मक संपर्क</u>

16. घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर विचार किया गया है। आवेदक ने प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि आयातों से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतें कम हो रही हैं। आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों को कम किया है और मूल्य वृद्धि को रोका है, जो अन्यथा हुई होती। घरेलू उद्योग को कम आयात कीमतों के साथ प्रतिस्पर्धा करने और अपनी बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए गैर-लाभकारी कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इससे घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जो क्षति अवधि में बिगड़ गई है। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं जो पाटनरोधी जांच शुरू करने को उचित ठहराते हैं।

ज. <u>जांच की शुरुआत</u>

17. घरेलू उद्योग द्वारा और उसकी ओर से विधिवत प्रमाणित आवेदन-पत्र के आधार पर, और विचाराधीन उत्पाद के पाटन को सिद्ध करने वाले, घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, और घरेलू उद्योग को पर्याप्त क्षति के आधार पर, स्वयं संतुष्ट होने पर प्राधिकारी एतदद्वारा तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने और पाटनरोधी शुल्क की राशि, जो यदि लगाई जाए, और घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार तथाकथित पाटन और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति की पाटनरोधी जांच शुरु करते हैं।

झ. <u>प्रक्रिया</u>

18. इस जांच में नियमावली के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

ञ. <u>सूचना प्रस्तुत करना</u>

19. सभी पत्र निर्दिष्ट प्राधिकारी को jd11-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, dd19-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@nic.in. को भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का व्याख्यात्मक भाग खोजने योग्य पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में है और डाटा फाइलें एमएस-ऐक्सल फार्मेट में हैं।

20. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादतकों/निर्यातकों, संबद्ध देशों की सरकारों को भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से और भारत में आयातकों तथा प्रयोक्ताओं, जो संबद्ध सामानों से जुड़े हुए जाने जाते हैं, को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित स्वरूप और तरीके से सभी संगत सूचनाएं दे सकें। सभी सूचनाएं इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना में निर्धारित स्वरूप और तरीके में, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं के अनुसार दायर की जानी चाहिएं।

21. कोई भी अन्य हितबद्ध पक्षकार इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा निर्धारित स्वरूप और तरीके

में वर्तमान जांच से संगत अनुरोध इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर कर सकते हैं।

22. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार को उसका एक अगोपनीय रूपांतर अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराना आवश्यक है।

23. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (**https://www.dgtr.gov.in/)** को नियमित रूप से देखते रहें ताकि वे जांच से संबंधित सूचना और आगे की प्रक्रियाओं से अद्यतन और अवगत रहें।

ट. समय सीमा

24. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को ईमेल पतों jd11-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, dd19-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@nic.in को नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार इस सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर भेजी जानी चाहिए। यदि कोई सूचना निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अपूर्ण है तो प्राधिकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और नियमावली के अनुसार अपने जांच परिणाम रिकॉर्ड कर सकते हैं।

25. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) सूचित करें और इस अधिसूचना की उपर्युक्त समय सीमा के भीतर अपनी प्रश्नावली के उत्तर दायर करें। जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध दायर करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करे, वहां उसे पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार उस समय को बढ़ाने के लिए पर्याप्त कारण दर्शाना चाहिए और वह अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय के भीतर आना चाहिए।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

26. जहां कोई पक्षकार इस जांच में कोई गोपनीय अनुरोध करता है अथवा प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर सूचना देता है, वहां उस पक्षकार के लिए यह अपेक्षित है कि वे नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा

जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार उस सूचना का अगोपनीय रूपांतर साथ-साथ प्रस्तुत करें। इसका अनुपालन न किए जाने पर उत्तर/अनुरोध रद्द किए जा सकते हैं।

27. यह अनुरोध प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" चिन्हित होने चाहिएं। प्राधिकारी को ऐसे चिन्हों के बिना किया गया कोई भी अनुरोध "अगोपनीय" सूचना माना जाएगा, और प्राधिकारी उन अनुरोधों का निरीक्षण करने के लिए अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

28. गोपनीय रूपांतर में वह सभी सूचनाएं निहित होंगी जो स्वभावतः गोपनीय हो, और/या अन्य सूचना, जिसके बारे में ऐसी सूचना का प्रदाता गोपनीय होने का दावा करता है। ऐसी सूचना जिसके स्वभावतः गोपनीय होने का दावा किया जाता है, या जिस सूचना की गोपनीयता का दावा अन्य कारणों से किया जाता है, उसके लिए सूचना प्रदाता को दी गई सूचना के साथ एक उचित कारण विवरण भी प्रस्तुत करना होगा कि ऐसी सूचना को प्रकट क्यों नहीं किया जा सकता।

29. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर की गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर गोपनीय रूपांतर की प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय सूचना को अधिमानतः सूचीबद्ध या ब्लैंक्ड आउट दिया जाना चाहिए (जहां सूचीकरण संभव नहीं है) और ऐसी सूचना को उचित और पर्याप्त रूप से संक्षेपित किया जाना चाहिए, जो उस सूचना पर निर्भर करता है, जिसके संबंध में गोपनीयता का दावा किया गया है।

30. अगोपनीय सार में गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना के सार को उपयुक्त रूप से समझने के लिए पर्याप्त विवरण होना चाहिए। तथापि, अपवादात्मक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह दर्शा सकता है कि ऐसी सूचना का सार नहीं दिया जा सकता है, और एक कारण विवरण दिया जाना चाहिए कि वह सार क्यों संभव नहीं है और यह सब प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए दिए जाने चाहिएं।

31. अन्य हितबद्ध पक्षकार, अनुरोधों के अगोपनीय रूपांतर के परिचालित होने की तारीख से 7 दिनों के भीतर, हितबद्ध पक्षकार द्वारा दायर अनुरोध में दावा किए गए गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

32. सार्थक अगोपनीय रूपांतर के बिना या पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 के अनुसार उचित कारण विवरण के बिना तथा गोपनीयता के दावे पर प्राधिकारी द्वारा जारी

उचित व्यापार नोटिस के बिना किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

33. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जांच के संबंध में गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या रद्द कर सकते हैं, यदि प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक है और यदि सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने या तो इच्छुक नहीं है या सामान्य रूप में उसके प्रकटन को अधिकृत नहीं करना चाहता है या सार रूप में नहीं देना चाहता है तो वे उस सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

34. प्राधिकारी, प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट और स्वीकार होने पर, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार की विशिष्ट अनुमति के बिना किसी भी पक्षकार को इसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ड. <u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>

35. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और साथ ही उन सभी से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने अनुरोधों/उत्तरों/सूचना का अगोपनीय रूपांतर अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें। अनुरोधों/उत्तरों/सूचना का अगोपनीय रूपांतर परिचालित न करने पर, इसजांच की शुरुआत की अधिसूचना के खंड-एम के अंतर्गत कार्रवाई हो सकती है।

ढ. <u>असहयोग</u>

36. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर या इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर या अलग पत्र के माध्यम से बाद में दी गई समयावधि में आवश्यक सूचना प्रदान नहीं करता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम रिकॉर्ड कर सकते हैं तथा केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं जो वे उचित समझें।

सिद्धार्थ

(सिद्धार्थ महाजन)
निर्दिष्ट प्राधिकारी